



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।**  
**प्रेस-नोट**

**दिनांक:- 17.11.2025**

**विषय:- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दुराचार के आरोप में दो अभियुक्तगण गिरफ्तार।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 237/2025, धारा- 65(2), 352, 351(3), 115(2) बीएनएस व धारा- 5(M)(N), 6, 16, 17 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. राजेश चौरसिया पुत्र स्व0 सत्यनारायण चौरसिया निवासी के 53/138 मध्यमेश्वर थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी उम्र-50 वर्ष व 2. विनोद कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रामजी प्रसाद निवासी के 52/128 मध्यमेश्वर थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी उम्र-46 वर्ष (श्रीपुरम होटल का संचालक) को दिनांक 17.11.2025 को थानाक्षेत्र कोतवाली से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण:-** दिनांक- 16.11.2025 को श्रीपुरम होटल के संचालक विनोद कुमार जायसवाल के सोची समझी साजिश के तहत एक नाबालिक 7 वर्षीय बच्ची को श्रीपुरम होटल में राजेश कुमार चौरसिया के द्वारा लेकर जाया गया और उसके पैन्ट की चेन खोलकर राजेश कुमार चौरसिया हाथ से बच्ची के गुप्तांग को छूने लगा जिससे बच्ची डर गयी और भागकर अपने घर पर चली गयी और सारी घटना को अपने घर पर बताया जिसके बाद वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 237/2025, धारा- 65(2), 352, 351(3), 115(2) बीएनएस व धारा- 5(M)(N), 6, 16, 17 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसके बाद उक्त मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

1. राजेश चौरसिया पुत्र स्व0 सत्यनारायण चौरसिया निवासी के 53/138 मध्यमेश्वर थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी उम्र-50 वर्ष।
2. विनोद कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 रामजी प्रसाद निवासी के 52/128 मध्यमेश्वर थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी उम्र-46 वर्ष (श्रीपुरम होटल का संचालक)।

**गिरफ्तारी का स्थान व समय:-** स्थान- थानाक्षेत्र कोतवाली अंतर्गत।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्र0नि0 श्री दयाशंकर सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, चौकी प्रभारी अम्बियामंडी थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।

3. का0 शिवाजी चन्द्र, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी ।
4. का0 शुभम सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त काशी जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।